-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.09.2026 को नेता प्रतिपक्ष श्री लाल बिहारी यादव एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार राय के सहारनपुर आगमन के दौरान सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत **हुदा जरीवाला पुत्री अब्दुल गफ्फार जरीवाला निवासी टावर-12, बी-101 युनिटेक ओराईजन थाना यूनिटेक ग्रेटर नोएडा** को महिला पुलिस द्वारा रोका गया। इस दौरान उनके द्वारा हंगामा एवं उत्तेजित व्यवहार किया गया तथा समझाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हुई। इसी क्रम में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत अभियुक्ता को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु सर्किट हाऊस, सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध के **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम मे गिरफ्तार अभियुक्ता को **जिला कारागार में निरूद्ध** किया गया।*

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

हुदा जरीवाला पुत्री अब्दुल गफ्फार जरीवाला निवासी टावर-12, बी-101 युनिटेक ओराईजन थाना यूनिटेक ग्रेटर नोएडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *म0उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
3. *म0का0 1412 नेहा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *म0का0 1425 शिल्पी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *म0का0 1429 आशु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 08.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त प्रीतम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नि0 गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 7/19 व मु0अ0सं0 840/18 धारा 363/366/3(2)5 SC/ST ACT व 7/8 POCSO ACT (श्रीमान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय परिषद सहारनपुर) में मौ0 गलीरा सदर बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

प्रीतम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

3. का0 1340 पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक 08.09.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नावेद पुत्र रईस निवासी मौहल्ला पुल खुमरान निकट बिजलीघर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*** *को मण्डी समिति परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 115 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 461/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नावेद उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नावेद पुत्र रईस निवासी मौहल्ला पुल खुमरान निकट बिजलीघर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *115 ग्राम अवैध चरस*

अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 178/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 297/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 33/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सुभाष नगर जनपद बरेली*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक 08.09.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त हसीन पुत्र मौ0 सलीम निवासी फुल खुमरान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को निर्यात निगम कमेला रोड छोटी नहर से पहले सरकारी कमेला के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 462/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त हसीन उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीन पुत्र मौ0 सलीम निवासी फुल खुमरान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *110 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 1002 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *रि0का0 1232 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक:08.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहानरपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 13.08.2026 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की लडकी को अपने घर बुलाना जहाँ पर वादी की पुत्री द्वारा फासी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 289/26 धारा 108 बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए* ***01 वांछित अभियुक्त प्रियाँशू शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी मौहल्ला मन्दिरजी सुल्तानपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को पटनी रोड गैस एजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. प्रियाँशू शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी मौहल्ला मन्दिरजी सुल्तानपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री अंकुर चौधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- का0 कोशिन्दर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक:08.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मुकदमें में नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 04/09/2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-बादल पुत्र जसवीर वर्मा, 2-सावन पुत्र जसवीर वर्मा निवासीगण ग्राम बीराखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 428/26 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे महिलाओ के विरूद्ध अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08/09/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त बादल पुत्र जसबीर वर्मा निवासी बीराखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को सी0एच0सी0 गंगोह के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

(1) बादल पुत्र जसवीर निवासी ग्राम बीराखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) निरीक्षक श्री लाल सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) हे0का0 579 शेखर चौहान गंगोह जिला सहारनपुर

(3) रि0का0 971 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 15 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया लैपटाप, चार्जर, पर्स, पैनकार्ड आदि सामान बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 08.09.2026 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिह निवासी भिगाना(जीन्द) हरियाणा मो0नं0 9991960462 की दाखिला तहरीर बावत अभियुक्त अनुज पुत्र सुरेश कुमार निवासी चाव मण्डी थाना गंगनहर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादी का HP कम्पनी का लैपटाप जिसका सीरियल नं0 LP009745, चार्जर ,पर्स जिसमे पैनकार्ड नं0 CMMPA0082J व कुछ रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 366/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त **वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र सुरेश कुमार निवासी चाव मण्डी थाना गंगनहर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को मात्र 15 घण्टे में गंगाली रजापुर हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गया HP कम्पनी का लैपटाप, चार्जर, पर्स व पैनकार्ड आदि सामान बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

अनुज पुत्र सुरेश कुमार निवासी चाव मण्डी थाना गंगनहर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरणः –

- 01 HP कम्पनी का लैपटाप,
- 01 चार्जर,
- 01 पर्स
- 01 पैनकार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **08-09-2026**

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा शराब की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा (हरियाणा मार्का) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब/नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.09.2026 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अजय उर्फ काजी पुत्र विश्वास निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को अध्याना रोड पर ग्राम शुक्रताल कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मसालेदार (हरियाणा मार्का) व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु अ0सं00467/26 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय उर्फ काजी पुत्र विश्वास निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मसालेदार (हरियाणा मार्का)
- 01 अदद मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट लगी

अभियुक्त अजय उर्फ काजी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 352/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नकुड सहारनपुर,
2. मु0अ0 सं0 394/21 धारा 380, 411, भा दं सं थाना नकुड सहारनपुर,
3. मु0अ0 सं0 407/21 धारा 380, 411, भा दं सं थाना नकुड सहारनपुर,
4. मु0अ0 सं0 453/21 धारा 414/,465 भा दं सं थाना नकुड सहारनपुर,
5. मु0अ0 सं0 83/23 धारा, 414,465 भा दं सं ,4/25, आयुद्ध अधि0 थाना नकुड सहारनपुर,
6. मु0अ0 सं0 123/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नकुड सहारनपुर,
7. मु0अ0 सं0 179/23 धारा, 379 भा दं सं थाना नकुड सहारनपुर,
8. मु0अ0 सं0 252/23 धारा, 379/411 भा दं सं थाना नकुड सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ , सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर,
3. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ सहारनपुर
4. रि0का0 1664 अंकुश कुमार थाना नकुड सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 42 हाफ अग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2. गौरव उर्फ मोहदा पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *को काजीपुरा पुलिया से अलीपुरा जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 42 हाफ अंग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का जिस पर FOR SALE IN U.T CHANDIGARH ONLY बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0- 294/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर*
2. *गौरव उर्फ मोहदा पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण

42 हाफ अग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का बरामद होना

आपराधिक इतिहास अभि0 गौरव उर्फ मोहदा उपरोक्त

1. *मु0अ0सं0 359/22 धारा 60(1) आब0अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 202/25 धारा 305(a)/317(2) भादवि थाना सरसावा*
3. *मु0अ0सं0 213/25 धारा 305(a), 317(2) भादवि थाना सरसावा*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2525 अनूप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 08.09.2026 को ***01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त तनबीर पुत्र वकील उर्फ भूरा निवासी ग्राम रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0 -2514/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट) को ग्राम रसूलपुर पापडेकी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तनवीर पुत्र वकील उर्फ भूरा निवासी ग्राम रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 सतीश रोसा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 1755 अनुज थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक – 08.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई 73,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में कराई गई वापस

घटना का विवरणः- दिनांक 08.09.2026 को वादी श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह ग्राम व पोस्ट चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर फोन-पे के माध्यम से 73,000/- रूपये की धनराशि ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 82/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निराक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त के खाते से फ्राड़ की गई **73,000/- हजार रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि** वापस कराई गई । पीडित द्वारा शत-प्रतिशत धनराशि वापस पाकर थाना गागलेहडी साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है ।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम-

1. प्रभारी निराक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी प्रभारी साईबर सैल थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. म0है0का0 48 ममता तोमर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. का0 407 उत्तम कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
5. रि0का0 868 प्रियांशु गौतम थान गागलहेडी सहारनपुर
6. म0रि0का0 903 बेबी रानी थाना गागलहेडी सहारनपुर

दिनांकः 08.09.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 12.11 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/ नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.09.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त अतुल उर्फ राजेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी मौहल्ला खालसा कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को बेलका नहर के पुल के बाई तरफ रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12.11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 372/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अतुल उर्फ राजेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी मौहल्ला खालसा कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *12.11 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री ओमकार सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *रि0का0 471 सुधाँशु थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 458 राहुल थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 08.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 08.09.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले ***04 अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र पुत्र विनोद कुमार निवासी मानकपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार, 2. गोपी पुत्र सुशील निवासी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर, 3. सोनल पुत्र हरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 4.जैविंद्र पुत्र हरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. *धर्मेन्द्र पुत्र विनोद कुमार निवासी मानकपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार*
2. *गोपी पुत्र सुशील निवासी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर*
3. *सोनल पुत्र हरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
4. *जैविंद्र पुत्र हरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *उ0नि0 सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *उ0नि0 बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
5. *है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
6. *है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक 08-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा बाद पुलिस मुठभेड हत्या के प्रयास के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 6000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.04.2019 को वादी उ0नि0 श्री रोहन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त शौकीन पुत्र इसरार निवासी संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने, तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल में पकडे जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-125/2022 धारा 307 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1769/22 व मु0अ0सं0-126/22 धारा 3/25 आ0 एक्ट वाद संख्या 1771/22 व मु0अ0सं0-127/22 धारा 414 भादवि वाद संख्या 1770/22 पर माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा ***आज दिनांक 08.09.2026 को अभियुक्त शौकीन पुत्र इसरार निवासी संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर को मु0अ0सं0-125/2022 धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 6000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता-(ADGC) श्री विक्रम सिंह ।
विवेचक- उपनिरीक्षक श्री धीर सिंह थाना चिलकाना।
पैरोकार-का0 253 मनोज थाना चिलकाना सहारनपुर।